

FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

अजमेर

अज अदालत - जिला कलक्टर

श्री बिरदा पुत्र सल्ला (मृतक) जरिये वारिसान अन्य बनाम श्रीमती सरोज कुमारी व अन्य

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधि 1956 प्रकरण संख्या 07/2014

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.09.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजकीय पैरोकार उप0। अपीलाण्ट एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित। राजकीय पैरोकार ने पत्रावली पर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुति दिनांक 28.02.2014 के पश्चात् न्यायालय आदेशिका दिनांक 06.06.2014, 25.07.2014, 05.09.2014, 31.10.2014, 19.01.2015, 25.02.2015, 26.05.2015, 06.07.2015, 24.08.2015, 29.09.2015, 11.01.2016, 3.05.2016, 15.06.2020, 11.07.2016, 16.08.2016, 26.09.2016, 07.11.2016, 19.12.2016, 21.02.2017, 21.03.2017, 18.04.2017, 16.05.2017, 18.07.2017, 03.10.2017, 31.10.2017, 05.12.2017, 09.1.2018, 13.03.2018, 10.04.2018, 12.06.2018, 14.08.18, 18.09.2018, 23.10.2018, 20.11.2018, 1.1.2019, 5.2.2019, 12.3.2019, 16.04.2019, 21.05.2019, 2.7.2019, 6.8.2019, 1.10.2019, 5.11.2019, 3.12.19, 7.1.2020, 4.2.2020, 3.03.2020, 7.4.2020, 18.8.2020, 27.10.2020, 01.12.20, 12.01.21, 30.3.21, 11.5.2021, 15.6.21, 3.8.2021, 14.9.2021, 18.01.22, 12.04.22, 23.08.22, 20.09.22, 25.11.22, 03.02.23, 24.03.2023 की पालना में रेस्पोंडेन्ट 1 व 2 के नोटिस तलबाना पेश नहीं किये हैं। तत्पश्चात् दिनांक 19.05.2023, 06.10.2023, 05.01.2024, को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी आदेश की पालना नहीं की गई, ना ही अपीलाण्ट/जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय प्रभावी आदेशिका 05.01.2024 के बावजूद लगभग 64 से अधिक अवसर प्राप्त किये जाने एवं 09 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई। जिससे अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता की उक्त अपील को चलाये जाने में ना तो किसी प्रकार की रुचि प्रकट होना प्रतीत होती है ना ही अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकरण बाबत उपस्थित हो रहे हैं। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभयपक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः अपीलाण्ट की अपील न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

डॉ. शांती दीक्षित

जिला कलक्टर अजमेर